उत्तर प्रदेश सरकार
परिवहन विभाग
अनुभाग-3
अधिसूचना
4 सितम्बर, 1990 ई0

सं0 7251/तीस-3—90-33-जी ई-72—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके और इस विषय पर समस्त विद्यमान नियमों और आदेशों का अतिक्रमण करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा में भर्ती और उसमें नियुक्त व्यक्तियों की सेवा की शर्तों को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं :—

उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990

भाग-एक-सामान्य

1—संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ—(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा नियमावली, 1990 कही जायगी।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

2—सेवा की प्रास्थिति—उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा में समूह "क" और "ख" के पद समाविष्ट हैं।

3—परिभाषाएं—जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो, इस नियमावली में,

(क) "नियुक्ति प्राधिकारी" का तात्पर्य राज्यपाल से है।

(ख) "भारत का नागरिक" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो संविधान के भाग दो के अधीन भारत का नागरिक हो या समझा जाय ;

(ग) "आयोग" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग से है ;

(घ) "संविधान" का तात्पर्य "भारत का संविधान" से है ;

(ङ) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार से है ;

(च) "राज्यपाल" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश के राज्यपाल से है ;

(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर इस नियमावली के या इस नियमावली के प्रारम्भ होने के पूर्व प्रवृत्त नियमों या आदेशों के अधीन मौलिक रूप से नियुक्त व्यक्ति से है;

(ज) "सेवा" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश परिवहन सेवा से है ;

(झ) "मौलिक नियुक्ति" का तात्पर्य सेवा के संवर्ग में किसी पद पर ऐसी नियुक्ति से है जो तदर्थ नियुक्ति न हो और नियमों के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो और यदि कोई नियम न हो तो सरकार द्वारा जारी किये गये कार्यपालक अनुदेशों द्वारा तत्समय विहित प्रक्रिया के अनुसार चयन के पश्चात् की गयी हो ;

(ञ) "भर्ती का वर्ष" का तात्पर्य किसी कलेण्डर वर्ष की पहली जुलाई से प्रारम्भ होने वाली बारह मास की अवधि से है।

भाग-दो—संवर्ग

4—सेवा का संवर्ग—(1) सेवा की सदस्य-संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित की जाय।

(2) जब तक कि उपनियम (1) के अधीन परिवर्तन करने के आदेश न दिये जायँ, सेवा की सदस्य संख्या और उसमें प्रत्येक श्रेणी के पदों की संख्या उतनी होगी जितनी परिशिष्ट में दी गयी है :

परन्तु—

(एक) नियुक्ति प्राधिकारी किसी रिक्त पद को बिना भरे हुए छोड़ सकता है या राज्यपाल उसे आस्थगित रख सकते हैं, जिससे कोई व्यक्ति प्रतिकर का हकदार न होगा।

(दो) राज्यपाल ऐसे अतिरिक्त स्थायी या अस्थायी पदों का सृजन कर सकते हैं, जिन्हें वह उचित समझें।

भाग-तीन-भर्ती

5—भर्ती का स्रोत—सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर भर्ती निम्नलिखित स्रोतों से की जायेगी :—

(1) सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी	(एक) पचास प्रतिशत पद ऐसे स्थायी, यात्रीकर/मालकर अधिकारियों और प्राविधिक निरीक्षकों सम्भागीय निरीक्षकों (प्राविधिक) में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, आयोग के माध्यम से पदोन्नति द्वारा। (दो) पचास प्रतिशत पद सम्मिलित राज्य सेवा परीक्षा के परिणाम के आधार पर आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा।
(2) संभागीय परिवहन अधिकारी	स्थायी सहायक संभागीय परिवहन अधिकारियों में से, जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा।
(3) उप परिवहन आयुक्त	स्थायी संभागीय परिवहन अधिकारियों में से जिन्होंने इस रूप में कम से कम पांच वर्ष की निरन्तर सेवा की हो, पदोन्नति द्वारा।
(4) अपर परिवहन आयुक्त	स्थायी उप परिवहन आयुक्तों में से पदोन्नति द्वारा।

6—आरक्षण—अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण भर्ती के समय प्रवृत्त सरकारी आदेशों के अनुसार किया जायगा।

भाग-4—अर्हताएं

7—राष्ट्रीयता—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी—

(क) भारत का नागरिक हो; या

(ख) तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पहली जनवरी, 1962 के पूर्व भारत आया हो; या

(ग) भारतीय उद्भव का ऐसा व्यक्ति हो जिसने भारत में स्थायी निवास के अभिप्राय से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका या किसी पूर्वी अफ्रीकी देश—केन्या, युगांडा और यूनाइटेड रिपब्लिक आफ तंजानिया (पूर्ववर्ती तांगानिका और जंजीबार) से प्रव्रजन किया हो :

परन्तु उपर्युक्त श्रेणी (ख) या (ग) का अभ्यर्थी ऐसा व्यक्ति होना चाहिये जिसके पक्ष में राज्य सरकार द्वारा पात्रता का प्रमाण-पत्र जारी किया गया हो :

परन्तु यह और कि श्रेणी (ख) के अभ्यर्थी से यह भी अपेक्षा की जायेगी कि वह पुलिस उप महानिरीक्षक, गुप्तचर शाखा, उत्तर प्रदेश से पात्रता का प्रमाण-पत्र प्राप्त कर ले :

परन्तु यह भी कि यदि कोई अभ्यर्थी उपर्युक्त श्रेणी (ग) का हो तो पात्रता का प्रमाण-पत्र एक वर्ष से अधिक अवधि के लिये जारी नहीं किया जायगा और ऐसे अभ्यर्थी को एक वर्ष की अवधि के आगे सेवा में इस शर्त पर रहने दिया जायगा कि वह भारत की नागरिकता प्राप्त कर ले।

टिप्पणी—ऐसे अभ्यर्थी को जिसके मामले में पात्रता का प्रमाण-पत्र आवश्यक हो किन्तु न तो वह जारी किया गया हो और न देने से इन्कार किया गया हो, किसी परीक्षा या साक्षात्कार में सम्मिलित किया जा सकता है और उसे इस शर्त पर अनन्तिम रूप से नियुक्त भी किया जा सकता है कि आवश्यक प्रमाण-पत्र उसके द्वारा प्राप्त कर लिया जाय या उसके पक्ष में जारी कर दिया जाय।

8—शैक्षिक अर्हता—सेवा में सीधी भर्ती के लिये यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी के पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय की स्नातक की उपाधि या उसके समकक्ष मान्यताप्राप्त कोई अन्य अर्हता हो।

9—अधिमानी अर्हता—अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जायगा, जिसने—

(एक) प्रादेशिक सेना में दो वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो; या

(दो) राष्ट्रीय कैडेट कोर का "बी" प्रमाण-पत्र प्राप्त किया हो।

10—आयु—सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी की आयु भर्ती के वर्ष की पहली जुलाई को 21 वर्ष की हो जानी चाहिये और 30 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये :

परन्तु अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और ऐसी अन्य श्रेणियों के, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जायं, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होगी जितनी विनिर्दिष्ट की जाय।

11—चरित्र—सेवा में किसी पद पर सीधी भर्ती के लिये अभ्यर्थी का चरित्र ऐसा होना चाहिये कि वह सरकारी सेवा में नियोजन के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। नियुक्ति प्राधिकारी इस संबंध में अपना समाधान कर लेगा।

टिप्पणी—संघ सरकार या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा या संघ सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्व में या नियंत्रणाधीन किसी निगम या निकाय द्वारा पदच्युत व्यक्ति सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। किसी ऐसे अपराध के लिये जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो, सिद्ध-दोष व्यक्ति भी पात्र नहीं होंगे।

12—वैवाहिक प्रास्थिति—सेवा में किसी पद पर नियुक्ति के लिये ऐसा पुरुष अभ्यर्थी पात्र न होगा जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों, और ऐसी महिला अभ्यर्थी पात्र न होगी जिसने ऐसे पुरुष से विवाह किया हो जिसकी पहले से कोई पत्नी जीवित रही हो :

परन्तु सरकार किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है, यदि उसका यह समाधान हो जाय कि ऐसा करने के लिये विशेष कारण विद्यमान हैं।

13—शारीरिक स्वस्थता—किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तभी नियुक्त किया जायगा जब मानसिक और शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा हो और वह ऐसे सभी शारीरिक दोष से मुक्त हो जिससे उसे अपने कर्तव्यों का दक्षतापूर्वक पालन करने में बाधा पड़ने की सम्भावना हो। किसी अभ्यर्थी को नियुक्ति के लिये अन्तिम रूप से अनुमोदित किये जाने के पूर्व उससे यह अपेक्षा की जायगी कि वह चिकित्सा परिषद् द्वारा आयोजित चिकित्सा परीक्षा में सफल पाया जाय :

परन्तु पदोन्नति द्वारा भर्ती किये गये अभ्यर्थी से स्वस्थता प्रमाण-पत्र की अपेक्षा नहीं की जायेगी।

भाग पांच—भर्ती की प्रक्रिया

14—रिक्तियों का अवधारण—नियुक्ति प्राधिकारी वर्ष के दौरान भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित की जाने वाली रिक्तियों की संख्या भी अवधारित करेगा और उसकी सूचना आयोग को देगा।

15—सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया—(1) प्रतियोगिता परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये आवेदन-पत्र आयोग द्वारा विहित प्रपत्र में, जो मुद्रित किये जाने पर आयोग के सचिव से प्राप्त किये जा सकते हैं, आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) किसी अभ्यर्थी को परीक्षा में तब तक सम्मिलित नहीं किया जायेगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश प्रमाण-पत्र न हो।

(3) आयोग लिखित परीक्षा के परिणाम प्राप्त होने और सारणीबद्ध करने के पश्चात्, नियम 6 के अधीन अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन-जातियों और अन्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों का सम्यक् प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुये, उतने अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिये बुलायेगा जितने लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर इस सम्बन्ध में आयोग द्वारा निर्धारित स्तर तक पहुँच सके हों।

(4) आयोग अभ्यर्थियों की, उनकी प्रवीणता-क्रम में, जैसा कि लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को प्राप्त अंकों के कुल योग से प्रकट हो, एक सूची तैयार करेगा और उतने अभ्यर्थियों की नियुक्ति के लिये सिफारिश करेगा जितने वह उचित समझे। यदि दो या अधिक अभ्यर्थी कुल योग में बराबर-बराबर अंक प्राप्त करें तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी का नाम सूची में उच्चतर स्थान पर रखा जायेगा। सूची में नामों की संख्या रिक्तियों की संख्या से अधिक

(जि[illegible] 25 प्रतिशत से ज्यादा अधिक नहीं) होगी । आयोग उ[illegible]ी नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित कर देगा ।

टिप्पणी—प्रतियोगिता परीक्षा सम्बन्धित पाठ्य-विवरण और नियम ऐसे होंगे, जो आयोग द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें ।

16—सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी के पद पर **पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया**—पदोन्नति द्वारा भर्ती, योग्यता के आधार पर समय-समय पर यथा-संशोधित उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सपरामर्श चयनोन्नति (प्रक्रिया) नियमावली, 1970 के अनुसार की जायगी ।

17—सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों से भिन्न पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती की प्रक्रिया—(1) सम्भागीय परिवहन आयुक्त के पदों पर पदोन्नति द्वारा भर्ती अनुपयुक्त को अस्वीकार करते हुये, ज्येष्ठता के आधार पर और अपर परिवहन आयुक्त के पद पर पदोन्नति द्वारा भर्ती योग्यता के आधार पर, एक चयन समिति के माध्यम से की जायगी जिसका गठन निम्न प्रकार से किया जायगा—

(1) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, कार्मिक विभाग ।
(2) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, परिवहन विभाग ।
(3) परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश ।

टिप्पणी—ज्येष्ठ सचिव अध्यक्ष होंगे ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में एक पात्रता सूची तैयार करेगा और उसे उनकी चरित्र पंजियों और उनसे सम्बन्धित ऐसे अन्य अभिलेखों के साथ, जो उचित समझे जायं, चयन समिति के समक्ष रखेगा ।

(3) चयन समिति उपनियम (2) में निर्दिष्ट अभिलेखों के आधार पर अभ्यर्थियों के मामलों पर विचार करेगी और यदि वह आवश्यक समझे तो अभ्यर्थियों का साक्षात्कार भी कर सकती है ।

(4) चयन समिति चयन किये गये अभ्यर्थियों की, ज्येष्ठता क्रम में, एक सूची तैयार करेगी और उसे नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रसारित करेगी ।

18—संयुक्त चयन सूची—यदि भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्ति सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जाय तो एक संयुक्त चयन सूची तैयार की जायगी जिसमें अभ्यर्थियों के नाम सुसंगत सूचियों से इस प्रकार लिये जायेंगे कि विहित प्रतिशत बना रहे । सूची में पहला नाम पदोन्नति द्वारा नियुक्त व्यक्ति का होगा ।

भाग छः—नियुक्ति, परिवीक्षा, स्थायीकरण और ज्येष्ठता

19—नियुक्ति—(1) उपनियम (2) के उपबन्धों के अधीन रहते हुये, नियुक्ति प्राधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां उसी क्रम में करेगा जिसमें उनके नाम, यथास्थिति, नियम 15, 16 या 17 के अधीन तैयार की गयी सूचियों में हों ।

(2) जहां भर्ती के किसी वर्ष में नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जानी हों, वहां नियमित नियुक्तियां तब तक नहीं की जायेंगी जब तक कि दोनों स्रोतों से चयन न कर लिया जाय और नियम 18 के अनुसार एक संयुक्त सूची तैयार न कर ली जाय ।

(3) यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायं तो एक संयुक्त आदेश भी जारी किया जायगा जिसमें व्यक्तियों के नाम का उल्लेख, यथास्थिति चयन में यथा अवधारित या उस संवर्ग में, जिससे उन्हें पदोन्नत किया जाय, विद्यमान ज्येष्ठता क्रम में किया जायगा । यदि नियुक्तियां सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों प्रकार से की जायं तो नाम नियम 18 में निर्दिष्ट चक्रानुक्रम के अनुसार रखे जायेंगे ।

(4) नियुक्ति प्राधिकारी अस्थायी या स्थानापन्न रूप में भी उपनियम (1) में उल्लिखित सूचियों से नियुक्तियां कर सकता है । यदि इन सूचियों का कोई अभ्यर्थी उपलब्ध न हो तो वह ऐसी रिक्ति में इस नियमावली के अधीन नियुक्ति के लिये पात्र व्यक्तियों में से नियुक्तियां कर सकता है । ऐसी नियुक्तियां एक वर्ष की अवधि या इस नियमावली के अधीन अगला चयन किये जाने तक, इनमें जो भी पहले हो, से अधिक नहीं चलेंगी, और जहां पद आयोग के कार्यक्षेत्र में हो, वहां उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (कृत्यों का परिसीमन) विनियम, 1954 के विनियम 5 (क) के उपबन्ध लागू होंगे ।

20—परिवीक्षा—(1) सेवा में किसी पद पर स्थायी रिक्ति में या उसके प्रतिनियुक्त किये जाने पर प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिये परिवीक्षा पर रखा जायगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी ऐसे कारणों से, जो अभिलिखित किये जायेंगे, अलग-अलग मामलों में, परिवीक्षा अवधि को बढ़ा सकता है जिसमें वह दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायगा जब तक अवधि बढ़ायी जाय ;

परन्तु आपवादिक परिस्थितियों के सिवाय, परिवीक्षा-अवधि एक वर्ष से अधिक और किसी भी स्थिति में दो वर्ष से अधिक नहीं बढ़ायी जायेगी ।

(3) यदि परिवीक्षा-अवधि या बढ़ाई गयी परिवीक्षा-अवधि के दौरान किसी भी समय या उसके अन्त में नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत हो कि परिवीक्षाधीन व्यक्ति ने अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया है या संतोष प्रदान करने में अन्यथा विफल रहा है तो उसे उसके मौलिक पद पर, यदि कोई हो, प्रत्यावर्तित किया जा सकता है, और यदि उसका किसी पद पर धारणाधिकार न हो तो उसकी सेवायें समाप्त की जा सकती हैं ।

(4) उपनियम (3) के अधीन जिस परिवीक्षाधीन व्यक्ति को प्रत्यावर्तित किया जाय या जिसकी सेवायें समाप्त की जायं, वह किसी प्रतिकर का हकदार न होगा ।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी संवर्ग में सम्मिलित किसी पद पर या किसी अन्य समकक्ष या उच्चतर पद पर स्थानापन्न या अस्थायी रूप में की गयी निरन्तर सेवा को परिवीक्षा-अवधि की संगणना करने के प्रयोजनार्थ गिने जाने की अनुमति दे सकता है ।

21—स्थायीकरण—किसी परिवीक्षाधीन व्यक्ति को परिवीक्षा अवधि या बढ़ायी गयी परिवीक्षा-अवधि के अन्त में उसकी नियुक्ति में स्थायी कर दिया जायगा यदि—

(क) उसका कार्य और आचरण संतोषजनक बताया जाय;

(ख) उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित कर दी जाय; और

(ग) नियुक्ति प्राधिकारी का यह समाधान हो जाय कि वह स्थायी किये जाने के लिये अन्यथा उपयुक्त है ।

22—ज्येष्ठता—(1) एतद्पश्चात् यथा उपबंधित के सिवाय, किसी श्रेणी के पदों पर व्यक्तियों की ज्येष्ठता मौलिक नियुक्ति के आदेश के दिनांक से और यदि दो या अधिक व्यक्ति एक साथ नियुक्त किये जायं तो उस क्रम से, जिसमें उनके नाम नियुक्ति के आदेश में रखे गये हों, अवधारित की जायेगी :

परन्तु यदि नियुक्ति के आदेश में किसी व्यक्ति की मौलिक रूप से नियुक्ति का कोई विशिष्ट पूर्ववर्ती दिनांक विनिर्दिष्ट किया जाय तो उस दिनांक को मौलिक नियुक्ति के आदेश का दिनांक समझा जायगा और अन्य मामलों में उसका तात्पर्य आदेश जारी किये जाने के दिनांक से होगा :

परन्तु यह और कि यदि किसी एक चयन के सम्बन्ध में नियुक्ति के एक से अधिक आदेश जारी किये जायें तो ज्येष्ठता वही होगी जो नियम 19 के उपनियम (3) के अधीन जारी किये गये नियुक्ति के संयुक्त आदेश में उल्लिखित हो।

(2) किसी एक चयन के परिणाम के आधार पर सीधे नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो आयोग द्वारा अवधारित की गयी हो :

परन्तु सीधे भर्ती किया गया कोई अभ्यर्थी अपनी ज्येष्ठता खो सकता है यदि किसी रिक्त पद का प्रस्ताव किये जाने पर वह युक्तियुक्त कारणों के बिना कार्यभार ग्रहण करने में विफल रहे। कारण की युक्तियुक्तता के सम्बन्ध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) पदोन्नति द्वारा नियुक्त किये गये व्यक्तियों की परस्पर ज्येष्ठता वही होगी जो उस संवर्ग में रही हो जिससे उनकी पदोन्नति की गयी।

(4) जहां नियुक्तियां पदोन्नति और सीधी भर्ती दोनों प्रकार से या एक से अधिक स्रोत से की जायं और स्रोतों का अलग-अलग कोटा विहित हो, वहां उनकी परस्पर ज्येष्ठता नियम 18 के अनुसार तैयार की गयी संयुक्त सूची में ऐसी रीति से, जिससे विहित प्रतिशत बना रहे, उनके नाम रख कर अवधारित की जायेगी;

परन्तु—

(एक) जहां किसी एक स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से अधिक की जायं, वहां कोटा से अधिक नियुक्त व्यक्तियों को ज्येष्ठता के लिये अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में जिसमें/जिनमें कोटा के अनुसार रिक्तियां हों, नीचे रखा जायगा।

(दो) जहां किसी स्रोत से नियुक्तियां विहित कोटा से कम हों, और ऐसी बिना भरी गयी रिक्तियों के प्रति नियुक्तियां अनुवर्ती वर्ष या वर्षों में की जायें, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्तियों को किसी पूर्ववर्ती वर्ष की ज्येष्ठता नहीं मिलेगी किन्तु उन्हें उस वर्ष की, जिस वर्ष उनकी नियुक्ति की जाय, ज्येष्ठता इस प्रकार मिलेगी कि इस नियम के अधीन तैयार हो जाने वाली उस वर्ष की नियुक्ति सूची में उनके नाम सबसे ऊपर रखे जायेंगे, जिसके बाद अन्य नियुक्त व्यक्तियों के नाम चक्रानुक्रम में रखे जायेंगे।

(तीन) जहां नियमों या विहित प्रक्रिया के अनुसार किसी स्रोत से बिना भरी गयी रिक्तियां सम्बन्धित नियम या प्रक्रिया में उल्लिखित परिस्थितियों में अन्य स्रोत से भरी जायं और इस प्रकार कोटा से अधिक नियुक्तियां की जायं, वहां इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति उसी वर्ष की ज्येष्ठता प्राप्त करेंगे, मानों उनकी नियुक्ति उनके कोटा की रिक्तियों के प्रति की गई हों।

भाग सात—वेतन इत्यादि

23—वेतनमान—(1) सेवा में विभिन्न श्रेणियों के पदों पर, चाहे मौलिक या स्थानापन्न रूप में हो या अस्थायी आधार पर नियुक्त व्यक्तियों का अनुमन्य वेतनमान ऐसा होगा जैसा सरकार द्वारा समय-समय पर अवधारित किया जाय।

(2) इस नियमावली के प्रारम्भ के समय प्रवृत्त वेतनमान नीचे दिये गये हैं :

पद का नाम	वेतनमान रु0
1—सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	2200-75-2800-द0 रो0-100-4000।
2—सम्भागीय परिवहन अधिकारी	3000-100-3500-125-4500
3—उप परिवहन आयुक्त	3200-100-3500-125-4875
4—अपर परिवहन आयुक्त	3700-125-4700-150-5000

24—परिवीक्षा-अवधि में वेतन—(1) फण्डामेन्टल रूल्स में किसी प्रतिकूल उपबन्ध के होते हुये भी, परिवीक्षाधीन व्यक्ति को, यदि वह पहले से स्थायी सरकारी सेवा में न हो, समयमान में उसकी प्रथम वेतन-वृद्धि तभी दी जायगी जब उसने एक वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूरी कर ली हो और द्वितीय वेतन वृद्धि दो वर्ष की सेवा के पश्चात् तभी दी जायगी जब उसने परिवीक्षा-अवधि पूरी कर ली हो और उसे स्थायी भी कर दिया गया हो;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि की गणना वेतनवृद्धि के लिए नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी अन्यथा निदेश न दे।

(2) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से सरकार के अधीन कोई पद धारण कर रहा हो, परिवीक्षा-अवधि में वेतन सुसंगत फण्डामेन्टल रूल्स द्वारा विनियमित होगा;

परन्तु यदि संतोष प्रदान न कर सकने के कारण परिवीक्षा-अवधि बढ़ायी जाय तो इस प्रकार बढ़ाई गई अवधि की गणना अन्यथा वेतनवृद्धि के लिये नहीं की जायगी जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी निदेश न दे।

3) ऐसे व्यक्ति का जो पहले से स्थायी सरकारी सेवा में हो, [illegible]वीक्षा अवधि में वेतन राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगा ।

25--दक्षतारोक पार करने का मानदण्ड-- किसी व्यक्ति को—

(एक) प्रथम दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ; और,

(दो) द्वितीय दक्षतारोक पार करने की अनुमति तब तक नहीं दी जायगी जब तक कि उसने तत्परतापूर्वक और अपनी सम्पूर्ण योग्यता से कार्य न किया हो, उसका कार्य और आचरण संतोषजनक न पाया जाय और जब तक कि उसकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित न कर दी जाय ।

भाग आठ---अन्य उपबन्ध

26--पक्ष समर्थन---पद या सेवा के सम्बन्ध में लागू नियमों के अधीन अपेक्षित सिफारिशों से भिन्न किसी अन्य सिफारिश पर, चाहे लिखित हो या मौखिक, विचार नहीं किया जायगा । किसी अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से समर्थन प्राप्त करने का कोई प्रयास उसे नियुक्ति के लिये अनर्ह कर देगा ।

27---अन्य विषयों का विनियमन---ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जो विनिर्दिष्ट रूप से इस नियमावली या विशेष आदेशों के अन्तर्गत न आते हों सेवा में नियुक्त व्यक्ति राज्य के कार्यकलाप के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर सामान्यतया लागू नियमों, विनियमों और आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे ।

28--सेवा की शर्तों में शिथिलता—जहां राज्य सरकार का यह समाधान हो जाय कि सेवा में नियुक्त व्यक्ति की सेवा की शर्तों को विनियमित करने वाले किसी नियम के प्रवर्तन से किसी विशिष्ट मामले में अनुचित कठिनाई होती है, वहां वह, उस मामले में लागू नियमों में किसी बात के होते हुये भी, आदेश द्वारा उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये जिन्हें वह मामले में न्याय संगत और साम्यपूर्ण रीति से कार्यवाही करने के लिये आवश्यक समझे उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति दे सकती है या उसे शिथिल कर सकती है ।

परन्तु जहां कोई नियम आयोग के परामर्श से बनाया गया हो, वहां उस नियम की अपेक्षाओं से अभिमुक्ति देने या उसे शिथिल करने के पूर्व आयोग से परामर्श किया जायगा ।

29--व्यावृत्ति--- इस नियमावली की किसी बात का कोई प्रभाव ऐसे आरक्षण और अन्य रियायतों पर नहीं पड़ेगा जिनका इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और व्यक्तियों की अन्य विशेष श्रेणियों के अभ्यर्थियों के लिये व्यवस्था करना अपेक्षित हो ।

परिशिष्ट

इस नियमावली के प्रकाशित होने के दिनांक को सेवा की सदस्य संख्या निम्नलिखित है :—

क्रम-संख्या	पद का पदनाम	पदों की संख्या	
		स्थायी	अस्थायी
1	2	3	4
	समूह 'क'		
1	सम्भागीय परिवहन अधिकारी	14	2
2	उप परिवहन आयुक्त	3	६
3	अपर परिवहन आयुक्त	..	1
	समूह "ख"		
1	सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी	56	78

आज्ञा से,
सुरेन्द्र मोहन,
प्रमुख सचिव ।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification **no. 7251/30-3-90—33-GE-72**, dated December 4, 1990:

No. 7251/30-3-90—33-GE-72

December 4, 1990

In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution and in supersession of all existing rules and orders on the subject, the Governor is pleased to make the following rules regulating recruitment and conditions of service of persons appointed to Uttar Pradesh Transport Service.

THE UTTAR PRADESH TRANSPORT SERVICE RULES, 1990

PART I—*General*

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Uttar Pradesh Transport Service Rules, 1990.

(2) They shall come into force at once.

2. **Status of the Service.**—The Uttar Pradesh Transport Service comprises of Group 'A' and 'B' posts.

3. **Definitions.**—In these rules, unless there is anything repugnant in the subject or context :

(a) 'Appointing Authority' means the Governor ;